झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
अवमानना (आपराधिक) वाद सं0–03/2013

न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान .... वादी

बनाम्

हरि प्रसाद साह .... उत्तरदाता

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटेल
माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर

अपीलार्थी के लिए : सुश्री अनुभा रावत चौधरी, एमिकस क्यूरी।

उत्तरदाता के लिए : .श्री आर0एस0 मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता।

05/दिनांकः15वीं अप्रैल, 2013

डी0 एन0 पटेल, न्याया0 के अनुसार

1. वर्तमान मामला इस उच्च न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2012 को संदर्भित किये जाने पर दर्ज किया गया है।

2. हमने कंटेम्नर के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एमिकस क्यूरी को भी सुना है। उन्होनें मामले में, विस्तार से तर्क दिया है और निवेदन किया है कि जांच के प्रभारी पुलिस अधिकारी ने छह अभियुक्तों के प्रस्तुति/प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दी थी जो कुछ अलग अपराधों में न्यायिक हिरासत में थे। यह आवेदन 11 अप्रैल, 2012 को दिया गया था। इसके बाद मामले को 15 मई, 2012 के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद मामले को फिर से 23 मई, 2012 के लिए स्थगित कर दिया गया। पुलिस को प्रस्तुति/प्रोडक्शन वारंट नहीं दिया गया था और पुलिस को केस डायरी में दर्ज करना होगा कि मामले में क्या हुआ है। उस प्रक्रिया में, केस डायरी में यह कथन लिखा गया था कि ''अपने रिमाण्ड के लिए आवेदन दे दिया है, रिमाण्ड करना या नहीं करना मेरा काम है'' यह वाक्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा जी0आर0 संख्या 1855/2011, गोला थाना काण्ड संख्या 49/2011 के मामले में आपत्तिजनक पाया गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखतु हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि केस डायरी में इस्तेमाल की गई वाक्य कभी भी अदालत की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने अनजाने में केस डायरी में यह बयान लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी को प्रस्तुति अधिपत्र (प्रोडक्शन वारंट) प्राप्त करने में निराशा हुई। 11 अप्रैल, 2012 को एक आवेदन दिया गया और इसे एक महीने से अधिक समय के बाद स्थगित कर दिया गया यानि 15 मई, 2012 तक और फिर से 23 मई, 2012 के लिए, लेकिन, प्रस्तुति अधिपत्र/प्रोडक्शन वारंट नहीं दी गई और एक–एक करके दोनों अभियुक्तों को

संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गयी क्योंकि बयान अनजाने में जांच अधिकारी द्वारा केस डायरी में लिखा गया हो सकता है।

3. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, हमें जांच अधिकारी, हरि प्रसाद साह के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के लिए कोई कार्रवाई शुरू करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तद्नुसार, यह अवमानना कार्यवाही एतद् द्वारा, समाप्त की जाती है।

(डी0 एन0 पटेल, न्याया0)

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)